भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1201

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

1201. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लाभ पाने वाले अपात्र लाभार्थियों के कोई मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार लक्ष्य हासिल करने में क्या चुनौतियां हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रतीक्षा सूची में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रगति की निगरानी के लिए जियोटैगिंग और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी तकनीक का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इससे क्या सफलता मिली है;

(च) क्या सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित घरों की गुणवत्ता जांच की है और यदि हां, तो पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले घरों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ज) क्या निर्माण मानकों को बेहतर बनाने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ.चन्द्रत शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई**-**जी के तहत**,** पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में सामाजिक**-**आर्थिक जाति जनगणना **(**एसईसीसी**)** 2011 और आवास**+,** 2018 सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत **(**कच्चे घर**)** वाले शून्य**,** एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। इन मानदंडों/मापदंडों एसईसीसी 2011 और आवास+, 2018 सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू किया जाता है और फिर उन्हें ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यातपन और उसके बाद अपलीय प्रक्रिया के अध्यिधीन पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इसके अलावा**,** भारत सरकार ने योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास **+** सूची को अद्यतन करने की स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित बहिष्करण मानदंड **अनुबंध-I** में देखे जा सकते हैं। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार**,** पीएमएवाई**-**जी के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास + 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास **+** सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) पीएमएवाई**-**जी के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी है। पीएमएवाई**-**जी के लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों और अंतिम रूप से तैयार आवास+2018 सूची के अनुसार आवास वंचन मापदंडों के आधार पर की जाती है। पीएमएवाई**-**जी के तहत लाभार्थियों को प्राथमिकता श्रेणीवार बनाई गई है**,** जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य। परिवारों को श्रेणीवार प्राथमिकता आवासविहीन के आधार पर उसके बाद कमरों की संख्या**;** शून्य**,** एक और दो कमरे के

अधार पर दी जाती है। इस प्रकार अपात्र लाभार्थियों और प्राथमिकता में बदलावों की जांच के लिए तैयार की गई प्राथमिकता सूचियों को ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाता है। सूची में आवश्यक परिवर्तन ग्राम सभा के कार्यवृत्त के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें उपरोक्त बदलावों को दर्शाया जाता है। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूचियों का ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार किया जाता है। नाम हटाने या रैंकिंग में बदलाव से संबंधित शिकायतें राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय समिति को प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो ऐसी शिकायतों का समाधान करेगी। अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ग्राम पंचायत की श्रेणीवार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता है और पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर दर्ज किया जाता है।

पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में, शिकायतों के निवारण के लिए उन्हें संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार ही जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन एजेंसी है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हैं और मंत्रालय से शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए मंत्रालय को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अपात्र लाभार्थी से संबंधित शिकायतों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के अंतर्गत शिकायतों और अनियमितताओं की रिपोर्ट की गई घटनाओं के निपटान के लिए मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की सेवाओं का उपयोग करते हैं, ताकि शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जा सके और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को बरकरार रखा जा सके।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ मकानो का निर्माण करना था और सभी आवासों की मंजूरी दे दी गई है और दिनांक 06.02.2025 तक इस लक्ष्य की तुलना में 2.69 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। लक्ष्य, स्वीकृत आवास और निर्मित आवासों का राज्यवार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में राज्य कोषागार से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केन्द्र एवं राज्य अंश जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण

सामग्री की अनुपलब्धता शामिल हैं।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत, मौजूदा एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल और आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची में से वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 84,37,139 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल से 6,99,331 आवासों के लक्ष्य सहित 11,65,315 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल को सतृंप्त कर दिया गया है और 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश तथा लद्दाख के लिए लक्ष्य आवंटित करके आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची को पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपात्र परिवारों का प्रतिप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले स्वीकृत अपात्र परिवारों को प्रतिप्रेषण के कारण लक्ष्यों में कमी को पूरा करने की अनुमति दी गई है, ताकि पात्र परिवारों को उनके एसईसीसी 2011 और आवास + 2018 पीडब्ल्यूएल में आवंटित समग्र लक्ष्यों और संबंधित केंद्रीय अंश देयता के भीतर पूरा करने का प्रयास करने के लिए अगली पंक्ति के पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा सकें। इस प्रकार**,** वर्तमान में प्रतीक्षा सूची में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या है**:**

क्र.स.	**राज्य का नाम**	**शेष पात्र लाभार्थी***
1	असम	3,88,358
2	बिहार	5,46,745
3	छत्तीसगढ़	3,03,384
4	झारखंड	3,06,752
5	मध्य प्रदेश	8,21,190
6	महाराष्ट्र	13,29,678
7	राजस्थान	3,42,048
8	तमिलनाडु	1,42,054
9	कर्नाटक	4,76,556
10	पश्चिम बंगाल	22,59,417

***दिनांक 10.12.2024 की स्थिति के अनुसार**

उपरोक्त के अलावा, तेलंगाना राज्य ने योजना की शुरुआत यानी 1.04.2016 से पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया और राज्य में पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास + 2018 सर्वेक्षण भी नहीं किया। इसलिए, राज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान नहीं कर सका। राज्य

ने अब वित्त वर्ष 2024-25 से योजना को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालाँकि इस राज्य को लक्ष्य आवंटित नहीं किए जा सके।

इसके अलावा, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास + सूची को अद्यतन करने के लिए आवास + 2024 सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण आवास **+** 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और दिनांक 06.02.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 50,30,807 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(ड.) पीएमएवाई-जी में, कार्यक्रम कार्यान्वयन और निगरानी को आवास सॉफ्ट और आवास ऐप का उपयोग करके एंड टू एंड ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से किया जाता है। पीएमएवाई-जी की निगरानी एमआईएस यानी आवास सॉफ्ट में वर्कफ़्लो सक्षम लेनदेन डेटा का उपयोग करके प्रगति रियल टाइम कैप्चर के माध्यम से की जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत, पीएमएवाई-जी मकान के निर्माण की वास्तविक प्रगति की निगरानी जियो-टैग्ड, टाइम और तारीख वाली तस्वीरों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें निर्माण और पूरा होने के प्रत्येक चरण में अद्यतन किया जाता है।

(च) से **(ज):** पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसकी देखरेख मे मकान का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार आवास डिजाइन के विकल्पों की एक श्रृंखला उपलब्ध करानी चाहिए, जिसमें उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त स्थानीय सामग्री और तकनीक का उपयोग किया गया हो। साथ ही, लाभार्थियों के अनुरोधों के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास प्रकारों का एक संग्रह **"**पहल**"** भी प्रकाशित किया है जो पीएमएवाई-जी की कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने आवास ऐप के माध्यम से लाभार्थी को आदर्श आवास डिजाइन की सिफारिश करने के लिए पहल को डिजिटल बनाने की पहल की है।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी में मदद प्रदान करने, सूचना तक पहुंच प्रदान करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास सखी नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी बनाई है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को आवास के डिजाइन के प्रकार, स्थानीय रूप से उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित निर्माण सामग्री और ग्रामीण राजमिस्त्री की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2024 के पत्र के माध्यम से तथा समीक्षा बैठकों के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे लाभार्थियों को यथासंभव बीआईएस-प्रमाणित (आईएसआई चिन्हित) निर्माण सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित तथा उन्मुख करें। साथ ही, मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो

(बीआईएस) के सहयोग से दिसंबर, 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि उन्हें आवास क्षेत्रों से संबंधित भारतीय मानकों तथा बीआईएस द्वारा विकसित उपकरणों और प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि वे पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए उनका लाभ उठा सकें।

पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना है। इस पहल के तहत अब तक 3.97 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है और 2.92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है।

अनुबंध- I

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आवास+ सर्वेक्षण डेटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए स्वत: समावेशन और बहिष्करण मानदंड

चरण 1: पक्के मकानों का बहिर्वेशन- पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवार इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं।

चरण **2: स्वत: बहिर्वेशन–** शेष परिवारों से, नीचे सूचीबद्ध **10** मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को **स्वत:** बाहर कर दिया जाता है**: -**

1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन।
2. यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
3. 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
6. परिवार का कोई भी सदस्य जो 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है
7. आयकर का भुगतान
8. व्यावसायिक कर का भुगतान
9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना।
10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामी होना।

स्वत: समावेशन के मानदंड

1. आश्रयहीन परिवार
2. निराश्रित / भिक्षा पर जीने वाला
3. सिर पर मैला ढ़ोने वाले
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर।

अनुबंध – II

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.04.2016 से 07.02.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों से संबंधित शिकायतों का राज्यवार विवरण।

राज्य का नाम	आगे भेजा गया	के दौरान प्राप्त	के दौरान लंबित	के दौरान निस्तारण
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	1	0	1
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	15243	33	15210
बिहार	0	7	0	7
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	1	0	1
हरियाणा	0	1	0	1
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	1	0	1
कर्नाटक	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	1	1
महाराष्ट्र	0	3	2	1

मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	33	0	33
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	1	0	1
राजस्थान	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	2	0	2
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	25	0	25
उत्तराखंड	0	1	0	1
पश्चिम बंगाल	0	1	0	1
कुल	**0**	**15324**	**36**	**15288**

अनुबंध-III

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 06.02.2025 तक लक्ष्य, स्वीकृत आवास और पूर्ण आवासों का राज्यवार विवरण।

क्र.स.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आबंटित लक्ष्य	राज्यों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	35937	35605	35584
2	असम	2611793	2210728	1993111
3	बिहार	4492010	4014470	3711269
4	छत्तीसगढ़	2341457	1855425	1123250
5	गोवा	257	254	240
6	गुजरात	902354	824986	565090
7	हरयाणा	106460	32458	28799
8	हिमाचल प्रदेश	121502	97627	24384
9	जम्मू और कश्मीर	336498	334917	295773
10	झारखंड	2012107	1690484	1564400
11	केरल	232916	66409	34105
12	मध्य प्रदेश	4989236	4178583	3689463
13	महाराष्ट्र	3340872	3115212	1269900
14	मणिपुर	108550	101549	37773
15	मेघालय	188034	186099	130604
16	मिजोरम	29967	29966	24605
17	नागालैंड	48830	48826	22643
18	ओडिशा	2849889	2824836	2342387
19	पंजाब	103674	66434	38817
20	राजस्थान	2215247	1920476	1700366
21	सिक्किम	1399	1397	1386
22	तमिलनाडु	957825	749065	633403
23	त्रिपुरा	376913	376454	367844
24	उत्तर प्रदेश	3685704	3656717	3611718
25	उत्तराखंड	69194	68552	68094

26	पश्चिम बंगाल	4569423	4569032	3419114
27	अंडमान और निकोबार	3424	3140	1227
28	दादरा और नगर हवेली	11206	11138	3937
29	दमन और दीव	158	158	24
30	लक्षद्वीप	45	53	45
31	पुडुचेरी**	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	247114	246931	83955
33	कर्नाटक	944140	338837	145290
34	तेलंगाना**	0	0	0
35	लद्दाख	3004	3004	3004
	कुल	**3,79,37,139**	**3,36,59,822**	**2,69,71,604**

** पुडुचेरी और तेलंगाना इस योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

****